राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ केंद्रीय/उत्पाद शुल्क अपील संख्या 12/2019

मैसर्स मनु यंत्रालय (पी) लिमिटेड, एफ-701 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर अपने निदेशक महेंद्र कुमार बांठिया के माध्यम से

----अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, एनसीआरबी स्टेच्यू सर्कल जयपुर, तत्कालीन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त एन.सी.आर. बिल्डिंग स्टैच्यू सर्कल जयपुर-I

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री पी.के. कासलीवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : **श्री सिद्धार्थ रांका**, अधिवक्ता

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

17/05/2022

1. वर्तमान अपील दिनांक 01.08.2018 के आदेश के खिलाफ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 35 छ के तहत दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान सीमा शुल्क द्वारा सेवा कर अपील संख्या 1456/2010 उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, (संक्षेप में, "सीईएसटीएटी") में बहाली आवेदन अपास्त कर दिया गया था।

2. दिनांक 26.05.2008 को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से अधिनियम की धारा 11ए(1) के प्रावधान के तहत 13,81,755/- रुपये की केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की गई। उसी के उत्तर में, अपीलार्थी द्वारा योग्यता के आधार पर 16.06.2008 को

उत्तर दायर किया गया था। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त ने अपीलार्थी द्वारा उत्तर में की गई दलीलों को अपास्त कर दिया और मूल आदेश संख्या 58/2009 के तहत दिनांक 06.11.2009 द्वारा समतुल्य दण्ड एवं ब्याज सहित उठाई गई मांग की पुष्टि की गई। इस मामले को अपीलार्थी ने विद्वान आयुक्त (अपील) के समक्ष उठाया था, जिन्होंने दिनांक 30.03.2010 के मूल आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 35 छ के तहत उपरोक्त मूल आदेश दिनांक 06.09.2009 को बरकरार रखा था।

3. सीईएसटीएटी (न्यायाधिकरण) के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 22.12.2016 के आदेश के तहत, अपील को गैर-अभियोजन पक्ष में/अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण डिफ़ॉल्ट रूप से अपास्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध, अपीलार्थी ने अपील की बहाली और दिनांक 22.12.2016 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया था। उक्त आवेदन दिनांक 01.08.2018 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया था और इसलिए वर्तमान अपील कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दायर की गई थी:-

"1. क्या सीईएसटीएटी द्वारा दिनांक 1.08.2018 को पारित आदेश सीईएसटीएटी (प्रक्रिया) नियम 1982 के नियम 20 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण दिनांक 22.12.2016 को पारित आदेश को बहाल करने के लिए आवेदन की बहाली को अपास्त कर देता है।

2. न्यायाधिकरण द्वारा क्या, सीईएसटीएटी द्वारा 1.8.2018 को पुनर्स्थापना आवेदन को अपास्त करने का आदेश बालाजी स्टील री-रोलिंग मिल बनाम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत नहीं है। सीमा शुल्क आयुक्त ने न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 22.12.2016 को पारित आदेश को याद करते हुए 2014 (310) ईएलटी 209 (एससी) में रिपोर्ट दी?

3. क्या न्यायाधिकरण का यह मानना उचित था कि अपीलार्थी द्वारा दायर बहाली आवेदन समय से परे है, जबकि कानून के तहत ऐसी कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि सीईएसटीएटी द्वारा पक्षकारों की

सहमति से? निकाला गया ऐसा निष्कर्ष उचित कहा जा सकता है?"

4. अन्ततः पक्षकारों की सहमति से मामले की सुनवाई हुई।

5. वर्तमान अपील में शामिल सीमित प्रश्न सबसे पहले यह है कि क्या न्यायाधिकरण के पास अपीलार्थी/उसके अधिवक्ता द्वारा गैर-उपस्थिति या गैर-प्रतिवाद के अभाव में अपील? अपास्त करने की शक्ति है और दूसरा, क्या न्यायाधिकरण मामले की विशिष्टताओं पर विचार किए बिना अपील अपास्त कर सकता है?

6. मौजूदा मामले में, 22.12.2016 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील में छह वर्ष के बाद मामला न्यायाधिकरण द्वारा उठाया गया था, जो वर्ष 2010 में दायर किया गया था। याचिकाकर्ता (गण) की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायाधिकरण ने गुणागुण के आधार पर मामले पर विचार किए बिना अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से अपास्त कर दिया। उसी के खिलाफ, रिकॉलिंग एप्लिकेशन दायर की गई थी क्योंकि संबंधित अधिवक्ता वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका, जो जयपुर में स्थित था और न्यायाधिकरण दिल्ली में स्थित था। उन्होंने कहा कि गैर-उपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। उन्होंने **2014 (310) ई.एल.टी.** में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया। 209 (एस.सी.) का शीर्षक **बालाजी स्टील री-रोलिंग मिल बनाम है। सी. पूर्व आयुक्त. और सीमा शुल्क,** जिसमें यह माना गया कि न्यायाधिकरण के पास मामले की खूबियों पर चर्चा किए बिना अपीलार्थी की गैर-उपस्थिति/अनुपस्थिति के कारण अपील को एकतरफा तरीके से अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं था, जैसाकि अधिनियम की धारा 35 सी के वैधानिक आदेश के अनुसार है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1982 (संक्षेप में, 'नियम) के नियम 20 के आलोक में और निष्पक्ष खेल के हित में, गुणों पर विचार किए बिना बर्खास्तगी की शक्ति न दें। बहाली दी जानी चाहिए थी।

7. विद्वान न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 1.8.2018 के तहत, देरी के मुद्दे पर, उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, **बालाजी स्टील री-रोलिंग मिल (सुप्रा.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार और

चर्चा किए बिना, बहाली के लिए आवेदन को अपास्त कर दिया, हालांकि यह स्वीकार करते हुए कि बहाली के लिए आवेदन दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश **बालाजी स्टील री-रोलिंग मिल (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तय आदेश के विपरीत और साथ ही बहाली आदेश कानून की दृष्टि से खराब हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 35सी और नियमों के नियम 20 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ हैं।

9. इसके विपरीत, राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश उचित हैं। पुनर्स्थापना आवेदन समय की अत्यधिक देरी के बाद दायर किया गया था और उसके बाद भी, अपीलार्थी ने इस बारे में लापरवाही बरती और आवश्यक समय पर उपस्थित होने में विफल रहा, जिससे विद्वान न्यायाधिकरण का कीमती समय और संसाधन बर्बाद हुए जो स्पष्ट रूप से उसके लापरवाह रवैये को दर्शाता है और इसलिए, वह किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है। **अपने तर्कों के संबंध में उन्होंने कीर्तिकुमार जवाहरलाल शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2012 में प्रकाशित (10) टीएमआई 228 (बीओएम)** और **एल. जे. सिंथेटिक मिल बनाम. सी. प्रदर्श , अहमदाबाद-I आयुक्त 2011 (270) ईएलटी 507 (गुजरात)** में प्रकाशित के मामलों के निर्णयों पर भरोसा किया है। जिनमें यह माना गया था कि जब देरी होती है जिसे पर्याप्त रूप से समझाया नहीं गया है, तो अदालत को अपील पर विचार सोच-समझकर करना चाहिए और जब अत्यधिक विलंब होता है तो कानून का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

10. हमने दोनों पक्षों के संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया, बार में उद्धृत निर्णयों का अध्ययन किया और अपील के रिकॉर्ड को देखा।

11. मुद्दे पर विचार करने से पहले अधिनियम की धारा 35सी और नियमावली के नियम 20 के प्रावधान पर विचार करना जरूरी है, जो इस प्रकार है:-

"धारा 35सी- अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश

(1) अपीलीय न्यायाधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे, जिस निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसकी पुष्टि, संशोधन या अपास्त कर सकता है या मामले को प्राधिकरण को वापस भेज सकता है। जिसने ऐसे निर्देशों के साथ ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण उचित समझे, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के बाद, जैसा भी मामला हो, नए निर्णय या निर्णय के लिए।

"नियम 20- अपीलार्थी के डिफ़ॉल्ट के लिए अपील पर कार्रवाई - *जहां अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन या किसी अन्य दिन जिस पर ऐसी सुनवाई स्थगित की जा सकती है, अपीलार्थी सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं होता है, न्यायाधिकरण, अपने विवेक से, या तो डिफ़ॉल्ट के लिए अपील को अपास्त कर सकता है या गुणागुण के आधार पर सुनवाई और निर्णय ले सकता है:*

बशर्ते कि जहां किसी अपील को डिफ़ॉल्ट के लिए अपास्त कर दिया गया है और अपीलार्थी बाद में उपस्थित होता है और न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है कि जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई थी तो उसकी गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था, न्यायाधिकरण बर्खास्तगी को अपास्त करने और बहाल करने का आदेश देगा।

12. **उक्त नियमों के अवलोकन पर और बालाजी स्टील री-रोलिंग मिल (सुप्रा.)** के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गैर-अभियोजन के लिए बर्खास्तगी का कोई भी एकतरफा आदेश न्यायाधिकरण और द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अपील अपास्त नहीं की जा सकती। सीईएसटीएटी गुणागुण के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है क्योंकि अधिनियम की धारा 35C केवल सीईएसटीएटी को सक्षम बनाती है, जो एक वैधानिक अपीलीय प्राधिकरण है, जो अपील पर आदेश पारित कर सकता है या तो उस निर्णय या आदेश की पुष्टि,

संशोधन या अपास्त कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है या वह रिमांड ले सकता है। सीईएसटीएटी नियमों के नियम 20 का प्रावधान न्यायाधिकरण को बर्खास्तगी को अपास्त करने और अपील को बहाल करने की शक्ति देता है, यदि गैर-उपस्थिति का पर्याप्त कारण दिखाया गया है। नियम 20 के परंतुक में कार्य 'करेगा' का उपयोग अपील को बहाल करने के लिए न्यायाधिकरण पर एक दायित्व भी डालता है।

13. मौजूदा मामले में, यह न्यायाधिकरण ही था जिसने पंजीकरण के छह वर्ष बाद अपील पर सुनवाई की थी। अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता जयपुर में स्थित था, न्यायाधिकरण की सीट दिल्ली में स्थित थी और छह वर्ष बाद, केवल उसकी गैर-उपस्थिति के कारण आक्षेपित आदेश पारित किए गए थे। मामले को बिना किसी वास्तविक कारण और अवसर के डिफ़ॉल्ट रूप से अपास्त कर दिया गया था।

14. **बालाजी स्टील री-रोलिंग मिल (सुप्रा.)** मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुसरण करते हुए और अधिनियम की धारा 35सी और सीईएसटीएटी नियमों के नियम 20 के तहत वैधानिक प्रावधानों के कारण और न्याय के हित में, हम कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपील स्वीकार करने के इच्छुक हैं और चूंकि दोनों पक्षों ने इस चरण में अंतिम आदेश पारित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, हम अपील की अनुमति देने और मामले की योग्यता के अनुसार, अपील पर विचार करने के लिए मामले को वापस न्यायाधिकरण में भेजने के इच्छुक हैं।

15. डिफ़ॉल्ट आदेश दिनांक 22.12.2016 तथा बहाली हेतु आवेदन आदेश दिनांक 01.08.2018 को अपास्त किया जाता है। अपील को बहाल करने और गुणागुण के आधार पर मामले पर विचार करने के न्यायाधिकरण को निर्देश के साथ अपील की अनुमति दी जाती है।

16. इस समय, हम न्यायाधिकरण को न्यायिक मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने और उसे नजरअंदाज न करने का भी निर्देश देते हैं।

17. मौजूदा मामले में, **बालाजी स्टील री-रोलिंग मिल (सुप्रा.)** में संदर्भित माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्णय पर विचार नहीं किया गया और आवेदनों में

विशिष्ट संदर्भ के बावजूद इसे नजरअंदाज कर दिया गया। बल्कि, विभिन्न उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के विपरीत निर्णयों/आदेशों को महत्व दिया गया जो सीधे मुद्दे पर नहीं थे। यह न्यायालय उक्त आचरण की सराहना नहीं करता है और न्यायाधिकरण सदस्यों को सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है न्यायिक अनुशासन और प्रासंगिक आवेदनों और अपीलों में उद्धृत कानून के प्रावधानों और निर्णयों पर विचार करे।

18. उपरोक्त निर्देशों के साथ, उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति **(प्रकाश गुप्ता),न्यायमूर्ति**

Pooja/27

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।